

कार्यालय संयुक्त सचिव, जिला शिक्षा विभाग, जयपुर

क्रमांक/सामग/1/विभागानुमति/90-91/3590

इन्डोर, दिनांक 21/11/90

प्रति,

श्री श्रीवाजी  
मुद्राहरिकृष्ण पदवीक  
राज्या 213 इरर

विषय :-  
सन्दर्भ :-

कक्षा C.I. प्रारम्भ करने की विभागीय अनुमति प्राप्त  
आपका पत्र क्र. 31.11.90 दिनांक 21.11.90

आपके पत्र के अन्तर्ग में आपकी अवगत कराया जाता है कि संस्था के वर्ष 1990-91 में कक्षा C.I. प्रारम्भ करने की विभागीय अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

818

कक्षा C.I. में 10 + 2 शैली में शिक्षा दी जायेगी।  
सर्वे पाठ्यक्रम के अनुसार ही अध्यापन कार्य किया जाये।  
शाला के छात्रों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त, प्रमाण की मान्यता  
शालेय शिक्षा नीति 1042 के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा - 1991-92 में  
निर्धारित रूप से सम्मिलित करने के लिये माध्यमिक शिक्षा में  
सो मान्यता प्राप्त की जाय।

828

संस्था प्रमुख तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के संयुक्त खाते में राशि  
7000/- एन्डोमेन्ट फण्ड तथा रिजर्व फण्ड में 5000/- को एक  
राशि जमा की जाय।

838

निर्गुण स्टाफ को पद के अनुसार शान्त नारा मान्य वेतनापत्र से  
वेतन दिया जाय।

848

स्टाफ को शर्तों में मागवा शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित शर्ती शिक्षा  
नियम 79 के तहत ही शर्ती की जाय, तथा इस कार्यालय को  
चयन के समय प्रतिनिधि रखा जाय।

858

स्टाफ को पूर्ति भंडल द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण के अनुसार ही की  
जाय।

868

विभाग के अधिकारियों द्वारा संस्था के निरीक्षण के समय सम्बन्धित  
रेकार्ड संस्था में ही उपलब्ध कराया जायें।

878

संस्था में साल सामान तथा उपकरण, लेखक व मेदान आदि शासन द्वारा  
निर्धारित मानकों के अनुसार ही रखे जायें।

888

विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों का पालन करते  
हुए उसके अनुसार कार्य करना होगा।

898

भूतपूर्व अनुमति प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्था विभाग द्वारा समय  
समय पर जारी किए गए नियमों और विभागीय  
अधिकारियों द्वारा दिये गए आदेशों का पालन करेगी।

908

निर्देशक



8117

संस्था के लिए स्थानों की संख्या में अनुमति मांगना व प्रवेश के संबंध में जिन प्रवधानों का पालन करना अनिवार्य होगा । संस्था संकेत प्रालेय संकेत प्रणाली संस्था के लिये गए प्रारम्भिक वर्ष में रहेगी व संस्था संकेत प्रणाली के लिये प्रवेश संकेत तब तक प्रयोग करायेगा ।

8120

विद्यालय के सज्जता पालन पर निर्देशों की संख्या तथा विद्यार्थी मांगना, प्रवेश/अनुमति प्रार्थना में जिनके लिये मांग । संस्था में छात्र/छात्राओं का प्रवेश 25 अक्टूबर 2009 को प्रारम्भिक तुलना की दिया जाय ।

8158

संस्था प्रवेश / प्रार्थना विवरणों के लिये पर विद्यार्थीय मांगना प्रारम्भिक व समय निर्धारित की जा सकेगी ।

8168

संस्था को इस अनुमति के आधार पर अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

उपरोक्त प्रवधानों को विद्यार्थीय प्रवेश/अनुमति प्रणाली के पालन न करने पर संस्था की मांगना/विद्यार्थीय अनुमति प्रणाली में परिवर्तन की जा सकेगा ।

संयुक्त संकेत : संस्था/विद्यार्थीय ।

*(Signature)*  
संस्था/विद्यार्थीय  
लोक प्रण संकेत संकेत

4000/सामा/1/विद्यार्थीय/90-91/

बन्दोर, दिनांक

प्रतिक्रिया :-

818 श्री सचिव, प्राथमिक शिक्षण मण्डल, माण्डवी नगर में प्रवेश करने के लिये संस्था के लिये वर्ष ---2009--- का आवेदन प्रेषित करने में विद्यार्थीय प्रणाली में प्रवेश/अनुमति प्रणाली में प्रवेश करने का वृत्त करें ।

821 श्री केन्द्रीय अध्यापक, माण्डवी नगर, माण्डवी बन्दोर की ओर सूचनाएं ।

हस्ताक्षर  
संयुक्त संकेत  
लोक प्रण संकेत संकेत

*(Handwritten notes)*  
Received  
14/10/09  
*(Signature)*

PRINCIPAL,  
GURU HARKRISHAN  
PUBLIC SCHOOL